

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्रं.0 /अ-6अ/2020-21

शिवपुरी दिनांक 29.12.2020



महेश आदिवासी पूर्व अखिल भारतीय  
विकास परिषद कोठी नं. 28  
फतेहपुर वायपास रोड शिवपुरी-आवेदक  
वनाम

मध्यप्रदेश शासन

:: इशतहार ::

सर्व साधारण जनता ग्राम बम्हारी तहसील ब जिला शिवपुरी को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेश आदिवासी पूर्व अखिल भारतीय विकास परिषद कोठी नं. 28 फतेहपुर वायपास रोड शिवपुरी का ग्राम बम्हारी में 44 सहरिया आदिवासी व्यक्तियों को प्र.क्रं.19/2001-02/अ-19 आदेश दिनांक 05.08.2002 से बंटित भूमि के खसरो में शासकीय दर्ज होने से संहिता की धारा 115 के तहत खसरे में इन्द्राज दुरुस्ती संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। इस संबंध में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक 12.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। म्याद गुजरने के उपरांत की गई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक 29.12.2020

पृ.क्रमांक/रीडर-1/2020/637

प्रतिलिपि:-

- 1- एक प्रति ग्राम की चौपाल पर चस्पा हो।
- 2- एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 3- एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।

4- जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. शिवपुरी की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्र.0149अ-6अ/2020-21

शिवपुरी दिनांक 29.12.2020



कुंगरराज, लखन पुत्रगण अमरू जाटव  
निवासी कपराना तहसील व जिला शिवपुरी  
----- आवेदकगण

वनाम

मध्यप्रदेश शासन

:: इशतहार ::

सर्व साधारण जनता ग्राम कपराना तहसील व जिला शिवपुरी को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण कुंगरराज, लखन पुत्रगण अमरू जाटव निवासी ग्राम कपराना का ग्राम कपराना की भूमि सर्वे नंबर 498 रकवा 0.680 हैक्टर, 500 रकवा 0.320 हैक्टर के खसरा में शासकीय दर्ज होने से संहिता की धारा 115 के तहत दुरुस्त कर खसरे में नाम इन्द्राज कराने संबंधी प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। इस संबंध में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक 25.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। म्याद गुजरने के उपरांत की गई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक 29.12.2020

पृ.क्रमांक/रीडर-1/2020/ 632

प्रतिलिपि:-

- 1- एक प्रति ग्राम की चौपाल पर चस्पा हो।
- 2- एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 3- एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 4- जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. शिवपुरी की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.